संक्षिप्त

कोटपूतली-बहरोड़ जिला पुलिस अलर्ट मोड़ पर

कोटपूतली। एक ओर जिले में जहाँ पुलिस द्वारा सघन सर्च अभियान शुरू किया गया है। वहीं विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में जाकर अधिकारी विधार्थियों को भी अलर्ट रहने की अपील कर रहे है। पुलिस का कहना है कि कोई भी संदिग्ध गतिविधि देखे तो उसकी सूचना बेझिझक नजदीकी पुलिस थाने में देवें। इसी क्रम में एएसपी वैभव शर्मा कस्बा स्थित अशोका कोचिंग संस्थान पहुँचे। जहाँ उन्होंने छात्राओं को विभिन्न जानकारी देते हुये बालिका कानूनों के प्रति जागरूक किया। साथ ही छात्राओं को कालिका पैट्रोलिंग यूनिट के बारे में जानकारी देते हुये किसी भी प्रकार की समस्या होने पर उनसे सम्पर्क करने का तरीका बताया। इस दौरान कोटपूतली एसएचओ राजेश शर्मा, हैड कानि. समशेर सिंह यादव व धर्मपाल भी मौजूद रहे। संस्थान की ओर से निदेशक इंजी. विक्रम कसाना, राजेश चौधरी व योगेश चौधरी ने पुलिस अधिकारियों का आभार जताया। प्रधानाचार्य पूरण कसाना व सुदीप चौधरी ने अधिकारियों का स्वागत किया।

उप कारागृह कोटपूतली का औचक निरीक्षण

कोटपूतली। कस्बे के रामसिंहपुरा रोड़ स्थित उप कारागृह में शनिवार को पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार सघन चैकिंग की गई। उल्लेखनीय है कि कारागृहों में अवैध गतिविधियों की रोकथाम हेतु कारागृहों की समय-समय पर सघन चैकिंग करने के लिये निर्देशित किया गया है। जयपुर रेंज आईजी अजयपाल लाम्बा व एसपी राजन दुष्यंत के निर्देशन एवं एएसपी वैभव शर्मा के सुपरविजन में शनिवार को एसडीएम बृजेश चौधरी की मौजूदगी में डीएसपी राजेन्द्र कुमार बुरडक के नेतृत्व में स्थानीय थानाधिकारी राजेश कुमार शर्मा मय जाप्ता, पनियाला थानाधिकारी मोहरसिंह मय जाप्ता, सरुण्ड थानाधिकारी बाबूलाल मीणा मय जाप्ता, महिला पुलिस थाना कोटपूतली व रिजर्व पुलिस लाईन के जाप्ते को साथ लेकर समुचित पुलिस बल की तीन टीमें गठित कर औचक निरीक्षण कर जेल में बंद विचाराधीन बंदियो के रहने के लिये बनी बैरिक्स व जेल परिसर की गहनता से तलाशी/चैकिंग की गई।

मंत्री किरोड़ी लाल ने अधीक्षण अभियंता कार्यालय भवन का लोकार्पण किया

कृषिमंत्री डॉ. किरोडीलाल व सांसद मुरारीलाल मीणा ने भवन का फीता काटकर लोकार्पण किया।

दौसा। राजस्थान के कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा शनिवार को दौसा दौरे पर पहुंचे इस दौरान दौसा में उन्होंने अधीक्षण अभियंता कार्यालय भवन का लोकार्पण किया। कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने दौसा सांसद मुरारी लाल मीणा पर चुटकी लेते मंत्री पद से अपने इस्तीफे पर कहा कि इस्तीफा तो नहीं देता, लेकिन मुरारी लाल मीणा के चक्कर में देना पड़ा। 9 महीने तक अवकाश पर रहा और वनवास भी सांसद मुरारी मीणा के चक्कर में काटा। इस दौरान डॉ. किरोड़ी लाल कांग्रेस पर खूब हमलावर रहे।

कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि गहलोत सरकार के अंदर सब कुछ लीक हो गया था। पेपर लीक हो गया, पानी लीक हो गया, मैं ज्यादा बताना नहीं चाहता, गहलोत सरकार में सारा ही लीक था। वहां तो घोटालों में भी गड़बड़ हो गई थी। आपने देखा होगा कि गहलोत सरकार में से 18 में से 17 पेपर लीक हो गए, जबकि डेढ़ साल से भजनलाल सरकार काम कर रही। हमारी सरकार में कई पेपर हो चुके हैं। एक भी पेपर लीक करने की किसी की हिम्मत नहीं हुई है। हमारी सरकार ने आरपीएससी और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को झकझोर कर रख दिया। उन्होने कहा कि मैं अशोक गहलोत की ईमानदारी पर किसी प्रकार का प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहता, लेकिन यह दुर्भाग्य है कि जो बच्चा भविष्य के लिए तैयारी कर रहा था, उसका पेपर लीक हो जाए।

कृषि मंत्री डॉ किरोड़ी लाल मीणा ने अपने इस्तीफा मामले पर बोलते हुए कहा कि मैं पिछले 9 माह से अवकाश पर था। दौसा सांसद मुरारी लाल मीणा ने इस्तीफा भी दिलवाया दिया, वनवास भी कटवा दिया। उन्होने कहा कि मैं इस बात का विश्वास दिलाना चाहता हूं कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ आमजन को मिले, कहीं लीकेज ना हो और किसान के घर तक केंद्र और राज्य सरकार की योजना का फायदा पहुंचना चाहिए। इससे पूर्व कृषि ग्रामीण विकास मंत्री डॉ किरोडीलाल मीणा, दौसा सांसद मुरारी लाल मीणा, दौसा विधायक दीनदयाल बेरवा ने नवीन अधीक्षण अभियंता जलदाय विभाग के भवन का फीता काटकर लोकार्पण किया।

आज दोपहर 2 से 5 बजे तक होगी नीट

पावटा। ब्लॉक पावटा में रविवार को मेडिकल कोर्स की नीट परीक्षा दोपहर 2 से 5 बजे तक आयोजित होगी। कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने बैठक में परीक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। परीक्षा के दौरान उड़न दस्ते काम करेंगे। एसडीएम को नोडल अधिकारी बनाया गया है। सभी केंद्रों पर सीएसपी और थाना प्रभारी तैनात रहेंगे। विद्यार्थियों को परीक्षा शुरू होने से एक घंटा पहले केंद्र पर पहुंचना होगा। परीक्षा केंद्रों में पावटा ब्लॉक की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पावटा, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय पावटा, महात्मा गांधी उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रागपुरा शामिल हैं। परीक्षा कक्ष में किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही गहने, बेल्ट, कैप, एटीएम कार्ड और अन्य सामान भी प्रतिबंधित रहेंगे। मुख्य द्वार पर पुलिस अधिकारियों द्वारा फिक्सिंग की जाएगी तथा फिक्सिंग के बाद आधार ऑथेंटिकेशन के आधार पर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा परीक्षा हेतु परीक्षार्थियों को दो फोटो पासपोर्ट साइज एक फोटो पोस्टकार्ड साइज लानी है जिनमें से एक पासपोर्ट साइज फोटो व एक पोस्टकार्ड साइज फोटो प्रवेश पत्र पर लगेगी एक पासपोर्ट साइज फोटो अटेंडेंस शीट पर लगेगी परीक्षार्थियों को मूल आधार कार्ड लाना होगा।

पीटीईटी के लिये 05 मई तक किया जा सकेगा आवेदन

कोटपूतली। राज्य स्तरीय शिक्षक पात्रता परीक्षा दो वर्षीय बी.एड. पीटीईटी 2025 के लिये आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 05 मई कर दी गई हैं। कोटपूतली-बहरोड़ जिला समन्वयक व राजकीय एलबीएस पीजी महाविधालय के प्राचार्य डॉ. आर. के. सिंह ने बताया कि आवेदन से वंचित रहे अभ्यर्थियों की ओर से ई मेल एवं दूरभाष पर तिथि बढ़ाये जाने के लिये निरंतर निवेदन किया जा रहा था। इसलिये आवेदन का अंतिम अवसर दिया जा रहा है। पीटीईटी परीक्षा में पहली बार अभ्यर्थी की ओर से चयनित भाषा हिंदी या अंग्रेजी में ही प्रश्न पत्र उपलब्ध करवाया जायेगा। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थी ध्यानपूर्वक आवेदन पत्र भरना चाहिये। पीटीईटी 2025 की वेबसाईट एवं ई-मित्र से 500 रुपये शुल्क जमा कर आवेदन कर सकते हैं। किसी भी तकनीकी समस्या के समाधान के लिये अभ्यर्थी हैल्पलाईन नम्बरों पर सम्पर्क कर सकते हैं। परीक्षा सभी 41 जिला मुख्यालयों पर आयोजित की जायेगी।

भभूता सिद्ध महाराज मंदिर में 51 कुण्डात्मक श्रीराम महायज्ञ जारी

श्रीमाधोपुर । ग्राम किशोरपुरा स्थित भभूता सिद्ध महाराज मंदिर में चल रहे 9 दिवसीय 51 कुण्डात्मक श्रीराम महायज्ञ के शुभारंभ के दिन आए प्रात: कालीन अंधड़ ने जहां श्रीराम महायज्ञ के लिए लगाए गए पांडाल व टेंट को क्षितग्रस्त किया वहीं यज्ञमंडप को सुरक्षित छोड़ा जो एक अद्भुत चमत्कार से कम नहीं है। जब प्रात: काल 7.15 बजे यज्ञाचार्य पण्डित कैलाश चन्द्र शास्त्री व विद्वान पण्डितों द्वारा पूर्वाह्न में पंचांग पूजा शिखर कलश स्थापना मंडप प्रवेश वास्तु पूजा -अर्चना सम्पन्न हुई और अग्नि प्रज्वलित कर महायज्ञ शुरू किया गया।51 कुंडो पर 101 यजमान जोड़े बैठाए गए।

यज्ञाचार्य के रुप में राजस्थान सरकार संस्कृत विभाग के सेवानिवृत्त वेदाचार्य कैलाश चन्द्र शास्त्री किशोरपुरा, ब्रह्मा रुप अजय कुमार शर्मा सीपुर, उपाचार्य वेदप्रकाश शर्मा एवं सहायकाचार्य सत्यप्रकाश शर्मा की मौजूदगी में यज्ञ-हवन कार्य सुचारू रूप से चलने लगा। प्रधान कुंड पर प्रधान यजमान कल्याण बाडीगर बैठे वहीं प्रत्येक कुंड पर दो-दो यजमान और दो-दो पण्डित ब्रह्मा यज्ञ समापन तक नियुक्त किए गए। यज्ञ सेवा समिति अध्यक्ष रामसिंह यादव के निर्देशानुसार सभी सदस्यों ने व्यवस्था सम्भालने का महत्वपूर्ण कार्य अंजाम दिया। कोषाध्यक्ष रामेश्वर यादव व समिति सचिव सेवानिवृत्त अध्यापक रामकिशोर शर्मा किशोरपुरा का सहयोग सराहनीय रहा।

मंत्री झाबर सिंह खर्रा का भभूता सिद्ध स्मृति चिन्ह (भगवान की फोटो) व दुपट्टा ओढ़ाकर सरपंच तीजादेवी के पति जगदीश प्रसाद यादव व अजीतगढ़ प्रधान एडवोकेट शंकरलाल यादव द्वारा स्वागत -अभिनन्दन-सम्मान किया गया। महायज्ञ स्थल पर अग्निशामक यंत्र, एम्बुलेंस सेवा एवं चिकित्सा सेवा के माकूल इंतजामात देखने को मिले।नर्स सरोज चौधरी ,योग प्रशिक्षक कालूराम नटवाड़िया एवं आयुर्वेद विभाग सीकर की तरफ से डाक्टर कैलाश चन्द्र शर्मा वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी ब्लाक आयुर्वेद अधिकारी अजीतगढ़ की सेवा बदस्तूर जारी रही। मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने यज्ञशाला में चल रही पूजा -अर्चना में भाग लेकर क्षेत्र की सुख-समृद्धि और खुशहाली के लिए भगवान से प्रार्थना की।इस अवसर पर डॉ बी एल चौपड़ा, जयराम नटवाड़िया, शिम्भुदयाल पीटीआई, टटेरा सरपंच प्रतिनिधि हरसहाय गुर्जर, रामसिंह कैरल्या, रामेश्वर गुर्जर, रामचंद्र बाडीगर, हनुमान मेहता, शिम्भु खातोलिया, ओमप्रकाश मेहता, रामकिशोर शर्मा, ओमप्रकाश टेलर, पूरणमल यादव, हनुमान सहाय सहित हजारों की संख्या में भक्तगण मौजूद रहे। शनिवार को दूसरे दिन की हवन-पूजा एवं आहुतियों में संत-महात्माओं, जनप्रतिनिधियों, भक्तगणों -श्रृद्धालुओं -ग्रामीणजनों का रैला देखने को मिला। मीडिया प्रवक्ता ओमप्रकाश दांतला ने जानकारी दी कि नौ दिवसीय एवं इक्यावन कुण्डीय श्रीराम महायज्ञ से क्षेत्र में आध्यात्मिक माहौल सा बन गया है ।

विद्यार्थियों को सर्टिफिकेट प्रदान कर किया सम्मानित

श्रीमाधोपुर। भारतीय दूर संवेदन संस्थान (इसरो) देहरादून के नोडल सेंटर महात्मा गाँधी पी.जी. कॉलेज, श्रीमाधोपुर में इसरो द्वारा आयोजित आउटरीच प्रोग्राम के तहत पांच दिवसीय कार्यक्रम आपदा जोखिम न्यूनीकरण में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग में विद्यार्थी ने नोडल केंद्र पर ऑनलाइन अध्ययन करने के पश्चात ऑनलाइन परीक्षा देखकर सर्टिफिकेट परीक्षा उत्तीर्ण की। उक्त कार्यक्रम के कोऑर्डिनेटर प्राचार्य डॉ वीरेंद्र कुमार सैनी ने बताया कुल 20 विद्यार्थियों को इसरो द्वारा जारी सर्टिफिकेट प्रदान कर सम्मानित किया व विधार्थियो के उज्जवल भविष्य की कामना की। भविष्य में भी इसी प्रकार के कार्यक्रम नोडल केंद्र पर आयोजित होते रहेंगे। भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थानदेहरादून की द्वारा संचालित किया जाता है। आईआईआरएस की तरफ से शुरू किए गए कोर्स को रिमोट सेंसिंग के फील्ड में प्रैक्टिकल जानकारी देने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया है। इसमें मैपिंग, मॉनिटरिंग, लैंडस्लाइड आदि शामिल हैं।

बांग्लादेशियो की धरपकड़ के लिये ईट-भट्टो पर चलाया सर्च अभियान

मालपुरा। बीते दिनो कश्मीर के पहलगाम मे हुये आतंकी हमले के बाद भारत सरकार के कडे रूख एवं गृह मंत्रालय के आदेशो पर शनिवार को पचेवर व लाम्बाहरिसिंह थाना पुलिस ने ईट भट्टो व ग्रेनाईट खदानो पर चलाया सर्च अभियान। पचेवर थाना एएसआई भागचन्द चौधरी के नेतृत्व मे गठित विशेष टीम ने बालापुरा व थडी मे चल रहै ईट भट्टो पर सर्च अभियान चला की छापामार कार्यवाही। पचेवर पुलिस टीम ने ईट भट्टो पर काम करने वाले बाहरी श्रमिको के आधार कार्ड एवं अन्य दस्तावेजो की बारीकी से जांच पडताल कर सभी श्रमिको का सत्यापन किया। अभियान मे दोनो ही ईट भट्टो पर नही मिले कोई बांग्लादेशी श्रमिक। सभी के आधार कार्ड, मूलनिवास,जन्मप्रमाण सहित अन्य दस्तावेजो का सत्यापन किया गया। दोनो ही थानो के द्वारा की गई कार्यवाही मे नही मिला कोई बांग्लादेशी।

बालापुरा व थडी मे चल रहै ईट भट्टो पर सर्च अभियान चलाकर छापामार कार्यवाही की ।

बीते दिन अतिरिक्त पुलिस अधिक्षक मोटाराम बेनिवाल ने मालपुरा व टोडारायसिंह वृत्त क्षैत्र के थानाधिकारियो की क्राईम बैठक ले बांग्लादेशियो की जांच व धरपकड के लिये अभियान चलाये जाने के निर्देशो पर शनिवार को की गई दबिश की कार्यवाही।

सुत्रो की माने तो मालपुरा उपखण्ड क्षैत्र मे बडी तादात मे चल रही ग्रेनाईट की खदानो व शहर के रिको ओधोगिक क्षैत्र मे ऑयल मील, पत्थर फैक्ट्री इत्यादि पर बडी संख्या मे बाहरी श्रमिक कार्य कर रहै है। यहां तक की शहरी व ग्रामीण क्षैत्रो मे ऐसे बाहरी लोग रह रहै है। जिनका ना ही इनके दस्तावेजो की जांच पडताल की गई। ऐसे मे लम्बे समय से यह बाहरी लोग यहां रह रहै है। जो कि क्षैत्र मे शांति एवं कानून व्यवस्था सहित सुरक्षा पर कोई विपरीत प्रभाव डालने का अंदेशा है।

गिवअप अभियान को लेकर में जागरूकता अभियान की शुरुआत

शाहपुरा। राज्य सरकार के गिव अप अभियान को लेकर रसद विभाग के शाहपुरा प्रवर्तक कार्यालय द्वारा शनिवार से जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई। जिसके तहत लोगों को रिक्शे, टम्पो से साउंड ऑडियो सिस्टम के द्वारा जागरूक किया जा रहा है। प्रवर्तन अधिकारी राजेश कुमार टांक ने बताया कि खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभाग ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित सक्षम व्यक्तियों का स्वैचछा से नाम हटाने के लिए गिव अप अभियान शुरू किया है। इस अभियान से सक्षम लोगों के हटने से गरीब और जरूरतमंद लोगों को राशन मिल सकेगा। सूची से नाम हटाने के लिए लोगों को अपना प्रार्थना पत्र नजदीकी उचित मूल्य की दुकानदार को दे सकते हैं। उन्होंने बताया कि खाद्य सुरक्षा योजना में अपात्र परिवारों की पहचान कर उन्हें नोटिस दिए जाने की तैयारी की जा रही है। ऐसे परिवार जो स्वैच्छा से यह लाभ छोड़ देते हैं तो उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। वही नोटिस जारी होने के पश्चात यदि कोई परिवार अपना लाभ छोड़ भी देता है तो उसे राशन कार्ड पर उठाए गए समस्त गेहूं की बाजार मूल्य पर नियम अनुसार वसूली की जाएगी। इस अभियान में आयकर दाता,चार पहिया वाहन, सरकारी व अर्द्ध गैर सरकारी सेवा, 1लाख से अधिक आय वाले व्यक्ति,स्वामित्व में 200 वर्ग गज का पक्का मकान आदि को अपना नाम हटाना चाहिए।

उन्होंने बताया कि सरकार ने गिवअप अभियान की तिथि को 30 अप्रैल से बढ़कर 31 मई कर दी है। उन्होंने कहा कि जागरूकता अभियान का मकसद लोगों को जागरूक करना है ताकि अपात्र खुद ही अपना नाम खाद्य सूची से हटा लेवे। जागरूकता अभियान रिक्शे से माध्यम से शाहपुरा ब्लॉक के सभी गांवों में चलाया जाएगा।

कलेक्टर ने अलवर के गांव डेहरा में रात्रि चौपाल में ग्रामीणों की सुनी समस्याएं

अलवर। जिला कलक्टेर डॉ. आर्तिका शुक्ला ने अलवर उपखण्ड के ग्राम कस्बा डेहरा में आयोजित रात्रि चौपाल में ग्रामीणों की परिवेदनाओं को सुना। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि रात्रि चौपाल में प्राप्त परिवेदनाओ का त्वरित निस्तारण कर आमजन को राहत पहुंचाए।

जिला कलेक्टर ने रात्रि चौपाल में ग्राम कस्बा डेहरा सहित आस-पास के क्षेत्र से आये ग्रामीणों से पेयजल, विद्युत, पुलिस, स्वास्थ्य, रसद, आंगनबाडी सेवाओं, सामाजिक न्याय व अधिकारिता, मनरेगा सहित अन्य विभागों की सेवाओं का फीडबैक लिया। जनसुनवाई आने वाली परिवेदनाओं को जिला कलेक्टर ने सुनकर संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये कि जनसुनवाई में प्राप्त परिवेदनाओं का त्वरित निराकरण करें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि परिवेदनाओं के निराकरण कि सूचना परिवादी को दी जाये तथा इसकी रिपोर्ट भिजवाये।

रात्रि चौपाल जनसुनवाई में शिकायत पर अधिकारियों से जानकारी लेते कलेक्टर डॉ अर्तिका।

रात्रि चौपाल में सीएमएचओ ने अवगत कराया कि ग्राम कस्बा डेहरा में पीएचसी स्वीकृत है किन्तु सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण भवन का निर्माण नहीं हो पा रहा है। इस दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर मुकेश कायथवाल, यूआईटी की सचिव धीगदे स्नेहल नाना, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रियंका, उपखण्ड अधिकारी यशार्थशेखर, जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियंता दिनेश कुमार वर्मा, पीडब्लूडी के अधीक्षण अभियंता भूरी सिंह, सीएमएचओ डॉ. योगेंद्र शर्मा, डीएसओ विनोद जुनेजा, कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक पी सी मीणा,तहसीलदार रश्मि शर्मा, नायब तहसीलदार अशोक शर्मा सहित संबंधित अधिकारी एवं सरपंच भीम सिंह जोरवाल व बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे ।

- पीएचसी गांव में स्वीकृत है पर बनाने लिए भूमि नहीं है, गांव वालों ने कलेक्टर को दिया भूमि उपलब्ध कराने का भरोसा

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
www.jda.urban.rajasthan.gov.in
क्रमांक/ज.वि.प्रा./उपा./जोन-4/2025/डी-5464 दिनांक 30/04/2025
सार्वजनिक सूचना/विज्ञप्ति
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री अश्वनी कुमार कल्ला पुत्र डॉ. बुलाकी दास कल्ला द्वारा गोकुल वाटिका गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की योजना गोकुल वाटिका के भूखण्ड संख्या सी-19 का नाम हस्तान्तरण पत्र जारी करवाने हेतु ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में पूर्व में इस कार्यालय द्वारा गोकुल वाटिका गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की योजना गोकुल वाटिका के भूखण्ड संख्या सी-19, क्षेत्रफल 392.45 वर्गगज का पट्टा श्री सूरज नारायण व्यास पुत्र श्री गंगादास व्यास के पक्ष में क्रमांक 932 दिनांक 03.05.2007 को जारी किया गया, जिसे उप पंजीयक जयपुर-प्रथम, पंजीयन एवं मुद्रांक जयपुर प्रथम के यहां दिनांक 03.05.2007 को पंजीबद्ध करवाया गया। श्री सूरज नारायण व्यास पुत्र श्री गंगादास व्यास द्वारा मृत्यु से पूर्व पंजीकृत वसीयत 06.07.11 के आधार पर उक्त भूखण्ड की वसीयत अपने दोहित श्री अश्वनी कल्ला पुत्र श्री बुलाकी दास कल्ला के पक्ष में की गई। उक्त संबंध में आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र एवं दस्तावेजों के आधार पर आवेदक के पक्ष में उक्त भूखण्ड का नाम स्तानान्तरण पत्र जारी करने की कार्यवाही की जानी है। अतः इस संबंध में किसी भी व्यक्ति, हितधारी, संस्था को कोई आपत्ति हो तो अधोहस्ताक्षरकर्ता को इस सूचना के प्रकाशित होने के 7 दिवस में प्रस्तुत कर देवें। नियत अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर आवेदक के पक्ष में नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।
उपायुक्त जोन-4, जविप्रा, जयपुर

नाम परिवर्तन

I Bijeram gurjar S/O Ramjilal gurjar resident of murlipura dantli jagatpura district jaipur that i have changed my name from BIJERAM GURJAR Which is Wrongly entered in my bank account but correct name is TO VIJAY LAL GURJAR in future called me VIJAY LAL GURJAR For All purposes

I Radha devi is legally wedded spouse of Army no 13908813F Ex Nk Late Babu Lal Sharma resident of flat no G-2 plot no 16 Chitrakoot colony gayatri nagar A sanganer Jaipur that i have changed my name from RADHA DEVI which is wrongly entered in my husband service record To RADHA RANI SHARMA vide affidavit dated 30 April 2025 before district notary Jaipur

I Tulchha Ram S/o Khinya Ram R/o 193, Rado Ka Bass, Mirdha Bhavan, Nandiya Khurd, Jodhpur, Rajasthan-342037, have changed my name to Tanmay Mirdha

I Asha Devi Arora W/o Kasturi Lal R/o House No-1/203, Mukta Prasad Nagar, Bikaner, Rajasthan - 334004, have changed my name to Asha Devi Juneja

खोया-पाया

प्लाट न. A-21, गोल्डन एन्क्लेव, टोंक रोड, निमोडिया मोड, चाकसू, क्षेत्रफल 200, श्री खाटूश्याम बिल्डस्टेट्स, प्रा.लि. सोसायटी, जयपुर द्वारा आवंटित के मूल दस्तावेज, आवंटन पत्र, रसीद, साइट प्लान, आदि खो गए है। मिलने पर सूचित करे :- ताराचंद कोठारी पुत्र मोहनलाल कोठारी, डी-37, सुभाष मार्ग, सी-स्कीम, 9351312020

मेरा एक बैग जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा शास्त्री नगर, जयपुर खाता संख्या 61034413415 के जारी हस्ताक्षरित चैक संख्या 380302 से 380306, 380309 से 380311, 775715 से 775717, पास बुक और अन्य दस्तावेज दिनांक 01.05.2025 को रास्ते में कहीं गिर गये। मिलने पर सूचित करें : पवन कुमार 7229991926, 9929538674

मेरा राजस्थान हाउसिंग बोर्ड जयपुर के नाम से PNB, सैक्टर-17, प्रताप नगर, जयपुर का DDN.-084710, कहीं गुम हो गया है। मिलने पर सम्पर्क करे :- REENA DEVI SAIN - 9772861707

नम्बर मिलाइए
9587884433
सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी अभिभाष्या श्रीमती मनभर पत्नी स्व. श्री रामवतार साहू, निवासी 1472, ठनियारों का रास्ता, गुलाब बाड़ी, पुरानी बस्ती, जयपुर के पांच पुत्र है, जिनमें से एक पुत्र राहुल मेरी अभिभाष्या के कहे में नहीं है। राहुल आये दिन लोगों से कर्जा लेता है, तथा लड़ाई झगड़ा करता है, जिसके कारण लोग मेरी अभिभाष्या को कर्जा चुकाने एवं उसके खराब आचरण एवं व्यवहार के लिए उलाहना देते है, एवं कर्जा चुकाने के लिए मजबूर करते है तथा राहुल आये दिन आत्महत्या करने तथा झूटे मुकदमों में फंसाने की धमकियां देता है। इसलिए मेरी अभिभाष्या एवं मेरी अभिभाष्या का परिवार राहुल के द्वारा किये जाने वाले किसी भी कार्य संव्यवहार के लिए जिम्मेदार नहीं होगे।
जयपुर — सतीश सैनी, एडवोकेट
दिनांक 2.5.2025 — मो. नं. 9828837837

आम सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि एक फ्लैटनम्बर एफ-2, फर्स्ट फ्लोर, प्लाट नं. 40 "ऐश्वर्या हाईट्स" योजना सूर्या विहार, नियर सिद्धार्थ नगर-एच, मोहनपुरा, जयपुर में स्थित है। जिसका सुपर बिल्टअप एरिया 1300 वर्गफीट है, यह कि उक्त सम्पत्ति को नेहा केशवानी ने M/s PKG Fin Stock Pvt. Ltd. जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता अशोक जैन, सतीश अग्रवाल एच.यू.एफ. जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 30.06.2017 के द्वारा क्रय कर लिया, तत्पश्चात् नेहा केशवानी का स्वर्गवास दिनांक 09.11.2019 को हो गया। नेहा केशवानी के स्वर्गवास के बाद उनके विधिक व कानूनी उत्तराधिकारियों/वारिसान में उनके पति श्री घनश्याम केशवानी एवं उनके दो पुत्र श्री गौतम केशवानी और श्री गौरव केशवानी उक्त वर्णित सम्पत्ति में अपने-अपने हिस्से के संयुक्त रूप से मालिक, काबिज, स्वामी व अधिकारी हुए। तत्पश्चात् गौतम केशवानी व गौरव केशवानी ने अपने अपने अविभाजित हिस्से को जरिये पंजीकृत हक त्याग दिनांक 10.02.20220 द्वारा घनश्याम केशवानी के हित में हक त्याग कर दिया, इस प्रकार घनश्याम केशवानी उक्त सम्पत्ति का एकमात्र मालिक, स्वामी, काबिज व अधिकारी है। घनश्याम केशवानी द्वारा उक्त सम्पत्ति पर एच.डी.एफ.सी. बैंक लि. से ऋण प्राप्त किया जा रहा है, उक्त सम्पत्ति बाबत् यदि किसी भी व्यक्ति, संस्था, फर्म, बैंक, वित्तीय संस्था, सगे सम्बन्धी या अन्य कोई वारिसान, जनसाधारण, इत्यादि को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति, एतराज हो तो इस सूचना के प्रकाशन से सात दिवस की अवधि में मुझसे व्यक्तिगत रूप से मेरे निम्नलिखित ऑफिस पते पर अपनी आपत्ति/एेतराजात मय असल दस्तावेज सहित व्यक्त करें, उक्त अवधि गुजर जाने के पश्चात् किसी प्रकार की कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी तथा न्यायालय में शून्य व निरस्त समझी जायेंगी।
B.C. Shankla Advocate
Rajasthan High Court, Jaipur
Off. Add.- B-21, Chitrakoot Stadium, Vaishali Nagar, Jaipur
Mob. 9829063273

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18(2) के अधीन नोटिस
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर:- DEV/JAIPUR-I/TRUST/2025/242
चूंकि प्रार्थी श्र राजेंद्र कुमार यादव, ढाणी शयमावाला खोजावाला मोड़ प्रतापपुरा मोहनपुरा तह. शाहपुरा जिला जयपुर राज. 303103 ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अंतर्गत प्रन्यास भाग्योदय सेवा संस्था, ढाणी शयमावाला खोजावाला मोड़ प्रतापपुरा मोहनपुरा तह. शाहपुरा जिला जयपुर राज. 303103 के संबंध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है। अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें। और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा। आज दिनांक 30-04-2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया। आइदा तारीख पेशी 04/07/2025
सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (द्वितीय) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 19(2) के अधीन नोटिस
समस्त संबंधित व्यक्तियों को
(नाम, वर्णन तथा निवास स्थान)
मुकदमा नम्बर 51/2025
चूंकि श्री गुरूबचन सिंह पुत्र श्री प्रभु सिंह निवासी ग्राम पालपुर, तहसील हरसौली, जिला खैरथल-तिजारा ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अंतर्गत मंदिर जय मां शक्ति बीबीरानी धर्मार्थ ट्रस्ट, ग्राम पालपुर, तहसील हरसौली, जिला खैरथल-तिजारा के संबंध में जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के संबंध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा। आज दिनांक 02.05.2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया। आइदा तारीख पेशी 8.7.2025
सहायक आयुक्त (द्वितीय)
देवस्थान विभाग, जयपुर

कार्यालय उपायुक्त (मुरलीपुरा जोन), नगर निगम ग्रेटर, जयपुर
क्रमांकः मु.पु. जोन / न.नि.ग्रे.ज. / 2025/ 119
सार्वजनिक सूचना दिनांकः 24.04.25
भूखण्ड सं. 64 योजना, आनन्द विहार बी- बैनाड़ रोड झोटवाड़ा जयपुर का आवेदक श्री योगेश कुमार अग्रवाल पुत्र श्री दिनेश कुमार अग्रवाल द्वारा शपथ पत्र (अण्डरटेकिंग), जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर भूमि पट्टा विलेख मय साइट प्लान की फोटो प्रति, एवं अन्य दस्तावेजों के आधार पर स्वंय के नाम क्षेत्रफल 120 वर्गगज का नाम हस्तान्तरण चाहा गया है। आवेदक द्वारा उपलब्ध करायें गये दस्तावेजों के आधार पर उक्त भूखण्ड का श्री योगेश कुमार अग्रवाल पुत्र श्री दिनेश कुमार अग्रवाल को नाम हस्तान्तरण जारी किया जाना है। उक्तभूखण्ड के नाम हस्तान्तरण जारी बावत किसी भी व्यक्ति, संस्था, फर्म, कम्पनी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो 07 कार्य दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करें, अन्यथा निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद विधिवत नियमानुसार पट्टे की कार्यवाही सम्पादित कर ली जावेगी ।
उपायुक्त, मुरलीपुरा जोन, नगर निगम ग्रेटर, जयपुर

हैतुक दर्शित करने के लिए सूचना
(साधारण प्रारूप)
(व्यवहार प्रक्रिया संहिता पहली अनुसूची संख्यांक 4)
न्यायालय सिविल न्यायाधीश महोदय, स्थान-हिण्डौनसिटी
आम जनता मुस्लिम समाज आदि विरूद्ध भूपेन्द्रसिंह आदि प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा प्रा. संख्या-14 सन् 2025 बनाम नरेन्द्र मित्तल पुत्र महेशचन्द, जाति महाजन, निवासी मोहन नगर, हिण्डौनसिटी, तहसील हिण्डौनसिटी जिला करौली (राजस्थान)। उक्त सायलान ने इस न्यायालय में यह आवेदन किया है कि आपके विरूद्ध सम्पत्ति विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का दावा व उसके साथ में प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का पंजीयत किया है। अतः आपको चेतावनी दी जाती है कि आप उस आवेदन कि विरूद्ध हेतुक दर्शित करने के लिए दिनांक 05 माह 05 सन् 2025 को दिन में 7.30 ए.एम. बजे पूर्वान्ह में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा जिसे सम्यक अनुदेश किया गया हो, उप संजात हों। यदि आप ऐसा करने में असफल रहेंगे तो उक्त आदेश की सुनवाई और उसका निपटारा एक पक्षीय रूप से किया जायेगा। यह आज ता. 02 माह 5 सन् 2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है। आज्ञा से- रीडर
(मुहर) सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट हिण्डौनसिटी, (करौली)

विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन
(आदेश 5 के नियम 1 और 5)
न्यायालय सिविल न्यायाधीश महोदय, स्थान-हिण्डौनसिटी
आम जनता मुस्लिम समाज आदि विरूद्ध भूपेन्द्रसिंह आदि
दावा बावत हुक्मइम्तनाई दवामी इन मेंडेटरी फार्म वाद संख्या-33 सन् - 2025 बनाम नरेन्द्र मित्तल पुत्र महेशचन्द, जाति महाजन, निवासी मोहन नगर, हिण्डौनसिटी, तहसील हिण्डौनसिटी, जिला करौली (राजस्थान)।
वादीगण ने आपके विरूद्ध हुक्मइम्तनाई दवामी इन मेंडेटरी फार्म का वाद पंजीयत किया है। आपको इस न्यायालय में तारीख 05 माह 05 सन् 2025 को दिन में 7.30 ए.एम. बजे दावे का उत्तर देने के लिये उपसंजात (हाजिर) होने के लिये वचन दिया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते है जिसे सम्यक अनुदेश दिए गये हों और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित साक्ष्य दाखिल करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में हैं पेश करें जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या दाखिल/सुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है। और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो अपना प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे या प्रतिवादे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते हैं तो आप ऐसी दस्तावेजों को उल्लिखित समय के बाद उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा। यह वाद ता. 02 माह 05 सन् 2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।
(मुहर) आज्ञा से- रीडर
सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, हिण्डौनसिटी (करौली)

प्रारूप-10
(नियम 6(7) देखिए)
प्राधिकृत अधिकारी का कार्यालय नगर पालिका मंडल, फुलेरा
क्रमांक :- न.पा.फु./2025/299 दिनांक : 2.5.25
लोक सूचना
श्री कृष्णचंद्र पुत्र श्री लक्ष्मण, निवासी श्रीराम नगर फुलेरा तहसील फुलेरा, जिला जयपुर (राज.) ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है अर्थात

जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्र उपयोग	चाहा गया
तहसील फुलेरा जिला जयपुर राज.	राजस्व ग्राम फुलेरा,	खसरा नम्बर 1444/981 रकबा 0.6639 हैक्टेयर	6639 वर्गमीटर	आवासीय प्रयोजन

इस लिए, इसके द्वारर समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोगार्थ हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 2.5.25 को जारी की गयी।
अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका मंडल, फुलेरा

राजस्थान आवासन मण्डल
हमारा प्रयास - सबको आवास
जयपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा, कोटा, बांसवाड़ा, बाड़मेर
50% तक की छूट
कैम्प में निर्मित आवास एवं फ्लैट खरीदने का
सुनहरा अवसर
स्थल: बाड़मेर — मगरा आवासीय योजना — 06.05.2025 से 07.05.2025
स्थल: छबड़ा — छबड़ा आवासीय योजना — 20.05.2025 से 21.05.2025
स्थल: चौमहेला — आवासीय योजना चौमहेला — 06.05.2025 से 07.05.2025
स्थल: भीलवाड़ा — सुवाना आवासीय योजना — 20.05.2025 से 21.05.2025
स्थल: महला — महला आवासीय योजना — 06.05.2025 से 07.05.2025
स्थल: मंगरोल — मंगरोल आवासीय योजना — 20.05.2025 से 21.05.2025
स्थल: जोधपुर — विवेक विहार आवासीय योजना — 13.05.2025 से 14.05.2025
स्थल: परतापुर — परतापुर आवासीय योजना — 27.05.2025 से 28.05.2025
स्थल: जोधपुर — कुड़ी भगतासनी आवासीय योजना — 13.05.2025 से 14.05.2025
स्थल: नैनवा — नैनवा आवासीय योजना — 27.05.2025 से 28.05.2025
स्थल: छीपाबड़ोद — छीपाबड़ोद आवासीय योजना — 13.05.2025 से 14.05.2025
*उपरोक्त आवास 'जहाँ/जैसी स्थिति में है' आवंटित किये जायेंगे।
राज.संवाद/सी/25/1709
विस्तृत विवरण के लिए आवासन मण्डल की वेबसाइट rhb.rajasthan.gov.in देखें।
हेल्पलाइन नं. कार्यालय समय में: 0141-2744688, 2740009,
कार्यालय समय उपरान्तः 9461054291/92/319 एवं 9460254319, 6376868696 या समन्वयक अधिकारी श्री भारत भूषण जैन (9828363615) से सम्पर्क करें।
आवासन आयुक्त